email
18/2/21

संख्या—547/69—1—2021—14(22)/2021

1061/cls
18/02/2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2021

विषय : प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को जिला नगरीय विकास अभिकरण का पदेन परियोजना निदेशक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—816/69—1—14—14(13)/2014 दिनांक 21 मई, 2014 द्वारा प्रदेश के नगर निगम वाले जनपदों में नगर आयुक्त, नगर निगम को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) का पदेन परियोजना निदेशक नामित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के कम में शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से संचालित भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं में नगर निकायों की सहभागिता अधिक है। इन योजनाओं में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था, लाभार्थियों का चयन तथा परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण आदि का दायित्व नगर निकायों को ही सौंपा गया है। अतः नगर निगम वाले जनपदों को छोड़कर उ0प्र0 के अन्य जनपदों में भी सूडा/डूडा द्वारा संचालित योजनाओं के सुचारू कियान्वन हेतु प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को जिला नगरीय विकास अभिकरणों का पदेन परियोजना निदेशक नामित किया जाना उपयुक्त होगा।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम वाले जनपदों को छोड़कर उ0प्र0 के अन्य जनपदों में भी प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय पदेन रूप से जिला नगरीय विकास अभिकरणों (डूडा) में परियोजना निदेशक होंगे, ताकि सूडा के नियंत्रणाधीन जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं का कियान्वयन सुचारू रूप से सम्पादित हो सके। इस संबंध में पूर्व में निर्गत लागू व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। कृपया जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के मेमोरेन्डम/आर्टिकल आफ एसोसिएशन में संशोधन कर उ0प्र0 सोसाइटी एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

AD/FC/ASD/Prog. offi/PO(NULM)

भवदीय,

FC/ASD/Prog. offi/PO(NULM)

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

18/02/2021

18/02/2021

—2/

<u>संख्या–547 (1)/69–1–2021 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 (नगर निगम वाले जनपदों को छोड़कर)।
6. समस्त परियोजना/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 (नगर निगम वाले जनपदों को छोड़कर)।
7. निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।
17.2.21